सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2018/375** दायर दिनांक **19.12.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रतनाराम पुत्र किस्तुराराम, जाति जाट, निवासी नोजला की ढ़ाणी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. पूर्णाराम पुत्र किस्तुराराम, 2. भुराराम पुत्र आईदानराम, 3. गेदावरी पुत्री आईदानराम, 4. सोहनराम पुत्र शिवदानराम, 5. बेगाराम पुत्र हजारीराम, 6. परमेश्वरी पुत्री हजारीराम, 7. धन्नी पुत्री हजारीराम, 8. सायरी पुत्री हजारीराम, 9. राजु पुत्री हजारीराम, समस्त जाति जाट, निवासी नोजलो की ढ़ाणी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान 10. श्रीमान तहसीलदार साहब, डीडवाना

दावा बाबत् बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित—

1. श्री हीरसिंह बलारा, रणजीत बलारा अधिवक्ता, वादी की और से।

—:: अन्तिम निर्णय ::— दिनांक **26.12.2018**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 439 रकबा 43.16 बीघा खसरा संख्या 702 रकबा 1.12 बीघा, खसरा संख्या 705 रकबा 35.18 बीघा वाके नोजला की ढ़ाणी व खेत खसरा संख्या 11 रकबा 27.11 बीघा खेत खसरा संख्या 67 रकबा 14.01 बीघा, खसरा संख्या 141 रकबा 27.10 बीघा वाके केराप स्थित है। जिनकी वर्तमान में खातेदारी वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 10 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 10 एक ही परिवार के है, वादी व प्रतिवादीगण ने आज से करीब 20 वर्ष पूर्व ही उक्त खेतो का मौखिक वंटवारा कर लिया था, जिसके अनुसार खेत खसरा संख्या 439 रकबा 43.16 बीघा वाके नोजला की ढ़ाणी में से उतरी पूर्वी 24.16 बीघा व खसरा संख्या 702 रकबा 1.12 बीघा कुल 26.08 बीघा वादी रतनाराम के बंट व हिंस्से में आया तथा खेत खसरा संख्या 439 रकबा 43.16 बीघा में से पश्चिमी व उतरी 12 बीघा भूमि प्रतिवादी बेगाराम के बंट में आया। तथा खसरा संख्या 67 रकबा 14.01 बीघा वाके केराप प्रतिवादी बेगाराम के बंट में आयी तथा खसरा संख्या 439 रकबा 43.16 बीघा में से शेष 7 बीघा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दक्षिणी प्रतिवादी पूर्णाराम के बंट व कब्जा काश्त में आयी तथा खेत खसरा संख्या 705 रकबा 35.18 बीघा सम्पूर्ण वाके नोजला की ढ़ाणी प्रतिवादी सोहनराम के बंट व कब्जा काश्त में आया, तथा खेत खसरा संख्या 141 रकबा 27.10 बीघा वाके केराप सम्पूर्ण प्रतिवादी सोहनराम के बंट में आयी। तथा खेत खसरा संख्या 11 रकबा 27.11 बीघा सम्पूर्ण प्रतिवादी भुराराम के बंट में आयी। तथा इसी प्रकार पक्षकारान अर्से दराज से अपने अपने बंट के हिंस्सो पर काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादी पूर्णाराम के बंट में अन्य खेत आने से उक्त खेतो में कम भूमि बंट में आयी है, तथा उक्त खेतो के अलावा भी पक्षकारान के खेत बंट में आये हुये होने से जमीनो का बंटवारा अपनी सुविधाअनुसार कर लिया है, उक्त भूमि पैतृक है तथा खेत खसरा संख्या 439, 702, 705 में से प्रतिवादी भूराराम का नाम हटाया जाना जरूरी है क्योंकि भूराराम के बंट में खेत खसरा संख्या 11 रकबा 27.11 बीघा सम्पूर्ण भूमि बंट में आ चुकी है। तथा स्वर्गीय हजारीराम की पुत्रियां प्रतिवादी नम्बर 07 ता 10 की शादीयां होकर ससुराल जा चुकी है और उक्त भूमि में कोई हिंस्सा नहीं रखना चाहती खेतो का बंटवारा होकर पुरानी सिंवे कायम कर रखी है तथा वादी के हिंस्से में आज से करीब 20 वर्ष पूर्व पानी का एक होज बनाया हुआ है, उक्त भूमियों के बंटवारे का उल्लेख नजरी नक्शा में किया हुआ है। जो वाद का भाग है तथा नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है। सहखातेदारी होने से वादी को सरकारी सहायता से कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है तथा वादी अपने हक हिंस्से की भूमि का अलग बंटवारा करवाना चाहता है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04 ने जरिये अधिवक्ता मोहम्मद रफिक के ईकबाली जबाब पेश किया, जो शामिल मिशल किया गया, प्रतिवादी संख्या 01, 05 ता 10 बावजुद तामिल के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

मौखिक साक्ष्य में रतनाराम का शपथ पत्र पी0 डब्ल्यु0 01 है, तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नजरी नक्शा प्रदर्श –1 है, खतौनी की नकल प्रदर्श –2 है।

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी की सारगर्भीत बहस सुनी, अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने वाद के साथ पेश नजरी नक्शा के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

आदेश

इस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद नोजला की ढ़ाणी के खेत खसरा संख्या 439 व 702, 705 तथा खेत खसरा संख्या 11, 67, 141 वाके केराप का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" से विभाजन कर आदेश दिया जाता है कि वाद के फिकरा संख्या 03 में वर्णिता नुसार व वादी के नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार पक्षकारो को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा खेत खसरा संख्या 439, 702 व 705 वाके नोजला की ढ़ाणी में से प्रतिवादी भुराराम, परमेश्वरी, धन्नी, सायरी, भोलकी व राजु का नाम तथा खसरा संख्या 11, 67, 141 वाके केराप में से परमेश्वरी, धन्नी, सायरी, राजु, भोलकी व गोदावरी का नाम हटाया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 26.12.2018 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2018/375**

दायर दिनांक **19.12.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रतनाराम पुत्र किस्तुराराम, जाति जाट, निवासी नोजला की ढ़ाणी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	**बनाम**	1. पूर्णाराम पुत्र किस्तुराराम, 2. भुराराम पुत्र आईदानराम, 3. गेदावरी पुत्री आईदानराम, 4. सोहनराम पुत्र शिवदानराम, 5. बेगाराम पुत्र हजारीराम, 6. परमेश्वरी पुत्री हजारीराम, 7. धन्नी पुत्री हजारीराम, 8. सायरी पुत्री हजारीराम, 9. राजु पुत्री हजारीराम, समस्त जाति जाट, निवासी नोजलो की ढ़ाणी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान 10. श्रीमान तहसीलदार साहब, डीडवाना

दावा बाबत् बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा –53, 188 R. T. Act.

दिनांक :– **26.12.2018**

यह मुकद्दमा आज ववास्स्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि है दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा नोजला की ढ़ाणी के खेत खसरा संख्या 439 व 702, 705 तथा खेत खसरा संख्या 11, 67, 141 वाके केराप का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" से विभाजन कर आदेश दिया जाता है कि वाद के फिकरा संख्या 03 में वर्णिता नुसार व वादी के नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार पक्षकारो को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा खेत खसरा संख्या 439, 702 व 705 वाके नोजला की ढ़ाणी में से प्रतिवादी भुराराम, परमेश्वरी, धन्नी, सायरी, भोलकी व राजु का नाम तथा खसरा संख्या 11, 67, 141 वाके केराप में से परमेश्वरी, धन्नी, सायरी, राजु, भोलकी व गोदावरी का नाम हटाया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–...........मुवलिंग............मुवलिंग...........–.............बाबत.............–.............

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....–........... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **26.12.2018** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर	—		बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुतफर्रिक		
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
श्मजान			श्मजान		

ट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner